महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :– रू0वि0 / सम्ब0 / एफ–1 / 2013 / 358–68 दिनांकः– 10.05.2013

सेवा में,

सचिव / प्रबन्धक,
रक्षपाल बहादुर टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
बरेली।

महोदय,

कृपया अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब0–48 / सत्तर–2–2013–2(48) / 2013 दिनांक 09 मई, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकी प्रतिलिपि आपको भी पृष्ठांकित है। इस संदर्भ में मुझे आपको यह सूचित करना है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (यथा संशोधित, उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007), 1973 की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन आपके महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय स्तर पर प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा के दृष्टिगत, दिनांक 01.07.2013 से सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है–

1. संस्था शासनादेश संख्या 2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. महाविद्यालय / संस्थान द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वित्त अधिकारी
2. उप / सहायक कुलसचिव(परीक्षा, गोपनीय, शैक्षणिक, मुद्रण)
3. निजी सचिव कुलपति।
4. प्रभारी कम्प्यूटर।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
6. प्रभारी समिति,
7. प्रभारी वेबसाइट
8. प्रभारी, बी0एड0 सेल।

कुलसचिव